झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. मूल अधिनियम के अध्याय-IV के धारा-25 ख का अंत:स्थापन ।

झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य के संदर्भ में झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2006) में संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय – I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगा।

अध्याय – II

झारखण्ड राजमार्ग, अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2006) का संशोधन

नई धारा 25 ख का अंतःस्थापन

मूल अधिनियम के अध्याय IV में धारा 25क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात :–

25ख. राजमार्ग परिसीमा के अंतर्गत राजमार्ग पर जन उपयोगी सेवाएं, नाली इत्यादि के सन्निर्माण का विनियमन (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राजमार्ग प्राधिकार या उस प्राधिकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, राजमार्ग प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए पूर्व लिखित अनुज्ञा के सिवाय, राजमार्ग परिसीमा अंतर्गत भूमि पर या किसी राजमार्ग के आर–पार या उसके नीचे या उसके ऊपर, किसी प्रकार के कोई खंभे, स्तंभ, विज्ञापन टावर, ट्रांसफार्मर, केबल तार, पाईप, नाला, मल नाली, नहर, रेल लाइन, ट्रॉमवे, टेलीफोन बॉक्स, रिपीटर स्टेशन, गली, पथ या मार्ग को सन्निर्मित, संस्थापित, स्थानान्तरित नहीं करेगा, उसकी मरम्मत नहीं करेगा, उसे परिवर्तित नहीं करेगा या नहीं ले जाएगा।

(2)ऐसा व्यक्ति, जिसका उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने का आशय है, राजमार्ग प्राधिकार को आवेदन देगा जिसमें राजमार्ग के अधिभोग का प्रयोजन और अवधि, अधिभोग किए जाने वाले राजमार्ग की अवस्थिति और उसका भाग, कार्य निष्पादन की पद्धति, सन्निर्माण की अवधि और राजमार्ग के ऐसे भाग के प्रत्यावर्तन की पद्धति अंतर्विष्ट होगी।

(3) राजमार्ग प्राधिकार उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस राजमार्ग से जिसके संबंध में आवेदन में अनुज्ञा मांगी गई है, भिन्न कोई अनुकल्प नहीं है जहां लोक उपयोगिता अवस्थित करने के लिए भूमि मिल सके तो वह आवेदन में मांगी गई अनुज्ञा लिखित रूप में दे सकेगा:

परन्तु ऐसी अनुज्ञा देते समय राजमार्ग प्राधिकार, –

(i)राजमार्ग को नुकसान से; और
(ii) राजमार्ग पर के यातायात को बाधा से,

संरक्षित करने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अनुज्ञा के अधीन प्रस्थापित कार्य या सन्निर्माण के लिए अधिभोगाधीन या उसमें उपयोजित राजमार्ग के भागरूप राजमार्ग परिसीमा अंतर्गत किसी भूमि के संबंध में जिस व्यक्ति को ऐसी अनुज्ञा दी गई है, उस पर इस अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित फीस और अन्य प्रभार भी अधिरोपित एवं ऐसे अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा तथा अनुज्ञा के अधीन किसी संरचना, वस्तु या उपस्कर को लगाने या स्थानांतरित करने में राजमार्ग को हुए किसी नुकसान की मरम्मत के लिए राजमार्ग प्राधिकार द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, भी ऐसे व्यक्ति पर अधिरोपित करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उल्लंघन में, कोई सन्निर्माण करता है या कोई अन्य कार्य करता है तो राजमार्ग प्राधिकार, स्वयं अपने खर्च पर ऐसी सन्निर्माण या अन्य कार्य को राजमार्ग से हटवाएगा और राजमार्ग को उस दशा में प्रत्यावर्तित करेगा जिसमें वह उपधारा (3) के अधीन ऐसी सन्निर्माण या अन्य कार्य के लिए अनुज्ञा दी जाने से ठीक पूर्व था और उक्त निमित्त हुआ व्यय वसूलेगा तथा इस अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित जुर्माना अधिरोपित करेगा।

यह विधेयक झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 50--50--12-9-2011 ।